न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 11./2021

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामरिख जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. दलीप पुत्र रामरिख जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. इन्द्राज सिह पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. जयनारायण पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. दयानन्द पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा सहारण अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 11/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की

रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 47/42 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि सायलान के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/155 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैर सायल संख्या 2 के खेत चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/155 के प0न0 348/380(6) के किला न0 1/2 मिन के पश्चिम की 0.0130हैक्ट भूमि में उत्तर से दक्षिण चलकर गैरसायल के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना के 0.001हैक्ट मे से होते हुए सायल अपने खेत के प0न0 347/380(6) में पवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है।

उक्त रस्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है सायलान आपसी सहमति से इसी रास्ता से आवागमन करता आ रहा है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है जिससे गैरसायलान कभी भी रास्ता बन्द कर सकते है इसीलिये सायलान उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

सायलान ने गैरसायलान को प0न0 348/380(6) के किला न0 1/2 मिन के पश्चिम की 0.0130हैक्ट भूमि में उत्तर से दक्षिण चलकर गैरसायल के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना के 0.001हैक्ट मे से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा कहा किन्तु कुछ दिनो तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प0न0 348/380(6) के किला न0 1/2 मिन के पश्चिम की 0.0130हैक्ट भूमि में उत्तर से दक्षिण चलकर गैरसायल के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना के 0.001हैक्ट मे से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये को जरिये नोटिस तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तहसीलदार नोहर ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एव उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 47/42 की कुल 1.0120हैव भूमि सायलान के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/155 की कुल 1.0120हैव भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्रा रास्ता से होते हुए गैर सायल संख्या 2 के खेत चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/155 के प0न0 348/380(6) के किला न0 1/2 मिन के पश्चिम की 0.0130हैव भूमि में उत्तर से दक्षिण चलकर गैरसायल के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना के 0.001हैव मे से होते हुए सायल अपने खेत के प0न0 347/380(6) में पवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है।

उक्त रस्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है सायलान आपसी सहमति से इसी रास्ता से आवागमन करता आ रहा है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है जिससे गैरसायलान कभी भी रास्ता बन्द कर सकते है इसीलिये सायलान उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 47/42 की कुल 1.0120हैव भूमि सायलान के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/155 की कुल 1.0120हैव भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायलान का कथन है कि सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है सायलान सदामत से प0न0 348/380(6) के किला न0 1/2 मिन के पश्चिम की 0.0130हैव भूमि में उत्तर से दक्षिण चलकर गैरसायल के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना के 0.001हैव मे से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते है यही रास्ता सुविधाजनक है जिसे स्वीकार फरमावे।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा के अनुसार सायलान को स्वीकृतशुद्वा रास्ता से अपनी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है सायलान को उनकी भूमि में जाने के लिये सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार सायलान को उनकी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है जो दिया जाना न्यायोचित है

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार किया जाकर गैरसायलान सख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169/155 के प0न0 348/380 (6) के किला न0 1/2 के मिन पश्चिम में 0.0130हैव भूमि उत्तर से दक्षिण एव गैरसायल के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना के 0.001हैव भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायलान गैरसायलान को खाता संख्या 47/42 के प0न0 347/380(5) के किला न0 6 में रास्ते की भूमि को छोडते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 2294 दिनांक 13/07/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 11 सन 2021 निर्णय दिनांक = 11/7/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामरिख जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. दलीप पुत्र रामरिख जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. इन्द्राज सिह पुत्र मधाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र मधाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. जयनारायण पुत्र मधाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. दयानन्द पुत्र मधाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 169 / 155 के प0न0 348 / 380 (6) के किला न0 1 / 2 के मिन पश्चिम में 0.0130हैक भूमि उत्तर से दक्षिण एव गैरसायल के किला न0 10 के मिन उत्तर पश्चिम कोना के 0.001हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायलान गैरसायलान को खाता संख्या 47 / 42 के प0न0 347 / 380(5) के किला न0 6 में रास्ते की भूमि को छोडते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner